(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और हिंदी भाषा के प्रसार के लिये क्या नये कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रेड्डं० आर०अंसारी) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 और इसके अंतगत बने नियमों के अनुपालन के लिये उठाए गए कदमों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिए) ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

राजभाषा अधिनियम, 1963 और इसके अंतर्गत बने नियमों के अनुपालन के लिये उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

तार हिंदी में भेजे जा रहे हैं । हिंदी के 83 टाइपराइटर हैं और 16 द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर हैं । मंत्रालय और "क" क्षेत्र में स्थित इसके सम्बद्ध कार्यालयों में हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित 23 आशुलिपिक और हिंदी टाइपराइटिंग में प्रशिक्षण 63 अवर श्रेणी लिपिक उपलब्ध हैं । टाईपिस्टों और आशुलिपिकों को समय-बद्ध योजना के अनुसार हिंदी टाइपिंग और आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिये भेजा जा रहा है । "क" क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालयों को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि नये खरीदे जाने वाले टाइपराइटरों के कम से कम 50 प्रतिशत देवनागरी के होने चाहिये । सभी संबंधितों को यह भी अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि राजभाषा अधिनियम और इसके अधीन नियमों का सख्ती से पालन किया जाये ।

राजभाषा अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन

75. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री राम चन्द्र विकल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिये कभी कोई प्रयास किया गया है कि राजभाषा अधिनियम के उपबंधों और हिंदी के प्रगामी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम का शत-प्रतिशत कार्यान्वयन अभी तक क्यों नहीं किया गया हैं ;

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा हिंदी अनुभाग की फाइलों को छोड़कर ऐसी फाइलों की संख्या कितनी है जिनमें राजभाषा में, अर्थात् हिंदी में काम किया जा रहा है ;

(ग) मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम काम कर रहे हैं और प्रत्येक उपक्रम में राजभाषा से संबंधित कार्य के बारे में स्थिति क्या है ; और

(घ) मंत्रालय में हिंदी, अंग्रेजी और द्विभाषी कम्प्यूटरों, टेलेक्सो, टेलीप्रिंटरों आदि की संख्या कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) मन्त्रालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिये राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों तथा वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी कार्य का मूल्यांकन, मंत्रालय के सभी अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के जरिये किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में स्थिति की समीक्षा मंत्रालय में समय-समय पर होने वाली राजभाषा कार्यान्यन समिति और हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों के जरिये भी की जाती है । मंत्रालय हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिये राजभाषा अधिनियम के साथ-साथ वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये बराबर प्रयास कर रहा है ताकि लक्ष्य पूरे किये जा सकें । इसके अतिरिक्त, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिये राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों और वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये अन्य बातों के साथ-साथ निम्नोक्त कदम उठाये गये हैं :

(1) मंत्रालय में सभी स्तरों पर केवल हिंदी में अपना कार्य करने के लिये तीन अनुभागों अर्थात् रोकड़—1, रोकड़—2 और स्थापना—4 को अभिज्ञात किया गया है ।

(2) मंत्रालय के अधिकांश अनुभागों ने अपना सभी कार्य केवल हिंदी में करने के लिये न्यूनतम पांच फाइलें अभिज्ञात की हैं ।

(3) उन सभी टंककों के लिये जिन्होंने अभी तक हिंदी टंकण के प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हैं, हिंदी टंकण का प्रशिक्षण देने के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है। इस प्रयोजनार्थ स्वयं मंत्रालय में ही एक हिंदी टाइपिंग यूनिट बनाई गई है।

(4) मन्त्रालय में हिंदी आशुलिपिकों का एक पूल बनाय गय है जिनकी सेवायें अधिकारी हिंदी टाइप टिप्पण और प्रारूपण लिखवाने में ले सकते हैं।

(ख) वाणिज्य मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा हिंदी अनुभाग की फाइलों को छोड़कर 229 फाइलों में हिंदी में काम किया जा रहा है।

(ग) मंत्रालय के अधीन 9 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम काम कर रहे हैं। भारतीय राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली में अनेक अनुभाग 20 से 40 तक अपना कार्य हिन्दी में कर रहे हैं परियोजना व उपस्कर निगम तथा भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली के एक-एक अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है। मंत्रालय के अन्य प्रमुख संगठनों के जिन अनुभागों में 50% से अधिक कार्य हिंदी में हो रहा है वे हैं प्रशासन कार्मिक, लेखा, जनसंपर्क तथा सम्पदा।

(घ) अंग्रेजी कम्प्यूटरों की संख्या 4 है जिनके लिये हिन्दी साफ्टवेयर भी प्राप्त किया गया है। टेलेक्स मशीनों (अंग्रेजी) की संख्या 4 है। इस मंत्रालय में कोई टेलीप्रिंटर नहीं है।

दस्तावेज का हिन्दी में अनुवाद

76. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री राम चन्द्र विकल :

क्या जल ससाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय में राजभाषा की घोर उपेक्षा की जा रही है और "क" "ख" तथा "ग" क्षेत्रों की तो बात ही क्या "क" क्षेत्र में स्थित मुख्यालयों तक में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पालन नहीं किया जा रहा है तथा विशेष कर प्रतिवेदनों, अध्ययन प्रतिवेदनों और इसी प्रकार के अनेक दस्तावेजों का हिन्दी में न तो अनुवाद किया गया है और न ही किया जा रहा है ; और

(ख) अंग्रेजी में तैयार किये गये दस्तावेजों, प्रतिवेदनों, अध्ययन प्रतिवेदनों आदि की संख्या कितनी हैं और ये किस प्रकार के हैं तथा इनमें से कितनों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) समय समय पर कई प्रकार के प्रतिवेदन तैयार किए गए हैं जिनमें रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों हेतु आन्तरिक प्रयोग के लिए तकनीकी स्वरूप के प्रतिवेदन भी सम्मिलित हैं। इनमें समय समय पर गठित अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिकरणों के प्रतिवेदन, आयोगों के प्रतिवेदन, विभिन्न तकनीकी समितियों के प्रतिवेदन शामिल हैं। इनमें से अधिकांश प्रतिवेदनों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है।

राजभाषा अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन

77. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक 13 उपक्रमों/ कम्पनियों में राजभाषा अधिनियम के उपबंधों और वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में स्थिति क्या हैं ;

(ख) "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में स्थित कंपनियों में कितने प्रतिशत कार्य राजभाषा में किया जा रहा है ;

(ग) धारा 3 (3) के पालन के संबंध में स्थिति क्या है और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां राजभाषा अधिनियम की धारा 10 (4) और 8 (4) कार्यान्वित कर दी गई है ; और

(घ) उन स्थानों के, विशेषकर "क" क्षेत्र में स्थित उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां शत प्रतिशत कार्य राजभाषा में किया